

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर,

अपील संख्या - 2050 / 2012 / उदयपुर

मैसर्स नेरिको सेरा कॉरपोरेशन,
उदयपुर।

.....अपीलार्थी

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन घट-द्वितीय, बांसवाड़ा।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री पी.डी.जावरिया,
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा,
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से
निर्णय दिनांक : 01.09.2014

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील उपायुक्त वाणिज्यिक कर (अपील्स), उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2012, जो अपील संख्या 154/वैट/2011-2012 के संबंध में पारित किया गया है, के विरुद्ध पेश की गयी है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, घट-द्वितीय बांसवाड़ा (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 76(6) के तहत आरोपित शास्ति रु.6,49,622/- व कर रु. 23,200/- की मांग राशियों की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, बांसवाड़ा द्वारा दिनांक 21.05.2011 को वाहन संख्या आर.जे.12 जीए-1071 को राष्ट्रीय राजमार्ग 8 खजूरी डूंगरपुर पर "सिरेमिक टाईल्स" परिवहनीत करते समय जांच हेतु रोका गया। वाहन में परिवहनीत माल के संबंध में दस्तावेज चाहने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा दस्तावेजों के संलग्न घोषणा प्ररूप वैट-47 वास्ते जांच प्रस्तुत किये। प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच बाद सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, बांसवाड़ा द्वारा द्वारा यह अवधारित किया गया कि प्रस्तुत घोषणा प्ररूप वैट-47 कालातीत है जिसे दिनांक 10.06.2008 को विभाग द्वारा जारी किया गया है एवम् उक्त कालातीत हो चुका है। अतः सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन-प्रथम, बांसवाड़ा ने उक्त कृत्य को अधिनियम की धारा 76(2)

लगातार.....2

सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियमों, 2006 के नियम 53(7) के प्रावधानों की अवहेलना के कारण, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत अभियोग दर्ज कर, अपीलार्थी सशक्त अधिकारी को अभिम कार्यवाही हेतु पत्रावली प्रेषित की गयी । अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंध में प्रस्तुत घोषणा प्ररूप वैट-47 कालातीत होने के कारण अधिनियम की धारा 76(2)(बी) का उल्लंघन होने के कारण अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति आरोपण हेतु जारी नोटिस की पालना में प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से वाहन चालक एवम् माल प्रभारी श्री शंकर लाल व श्री यशवन्त पालीवाल ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया । जिसे अपीलार्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर, अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति व कर की मांग राशि कायम की गयी । जिसके विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार की । जिसे इस अपील में चुनौती दी गयी है ।

3. उभयपक्षीय बहस सुनी गयी ।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर कथन किया कि कालातीत घोषणा प्ररूप वैट-47 प्रस्तुत करना मात्र एक तकनीकी त्रुटि थी जिसके संबंध में शास्ति आरोपित की है, वह विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अपने उक्त कथन के समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 120 एस.टी.सी. 212 मैसर्स महावीर चंद एण्ड सन्स, माननीय कर बोर्ड की समन्वय पीठ (एकलपीठ) द्वारा अपील क्रमांक 2505/2011/चुरु निर्णय दिनांक 08.01.2013, मैसर्स नेवेयर इन्टरनेशनल लि., कोटा बनाम् सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, कोटा (2002) 1 आर.टी.आर. 149 निर्णय दिनांक 17.03.2002, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापबंधन-द्वितीय, जोधपुर बनाम् मैसर्स जे.के.इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसमंद (2002) 1 आर.टी.आर. 26 के प्रकरणों में हुये निर्णयों को प्रोद्धरित कर कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को मात्र एक तकनीकी अनियमितता होना अवधारित किया है तथा उक्त विधिक स्थिति के आलोक में, अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अविधिक होने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।


4. प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने अभिवाक् किया कि प्रकरण में यह पूर्णतः स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा यक्त परिवहन माल के साथ घोषणा प्ररूप वैट-47 अवधि पार होने के कारण प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 76(6) के तहत जो शास्ति आरोपित की है वह विधिसम्मत एवम् उचित है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय मै0 गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम्

वा0क0अ0,18 टैक्स अपडेट 321 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि माल परिवहन के दौरान दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने अथवा अपूर्ण होने पर, कर चोरी की मंशा को प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिक होने के कारण, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6. उभयपक्षीय गहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रकरण में स्पष्ट है कि माल प्रभारी द्वारा वाहन में परिवहनित माल के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों के संलग्न घोषणा प्रपत्र वैट-47 प्रस्तुत किया गया था। माल के अन्य समस्त विहित दस्तावेज सही एवम् पूर्ण पाये गये थे। हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु पर माननीय कर बोर्ड द्वारा भी सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापबंधन-द्वितीय, जोधपुर बनाम मैसर्स जे.के. इण्डस्ट्रीज, कांकरोली, राजसगंद (2002) 1 आर.टी.आर. 28 में अवधि पार घोषणा प्ररूप की प्रस्तुति को एक तकनीकी अनियमितता माना है। अतः इस आधार पर शरित का आरोपण अनुचित एवम् अविधिक है। उक्त न्यायिक निर्णय के विरुद्ध सिविल अपील (एस.एल.पी.) माननीय उच्चतम न्यायालय के राक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो क्रमांक 12811/2000 पर दर्ज होकर, दिनांक 28.06.2000 को खारिज कर दी गयी है। चूंकि विवादित बिन्दु पर विधिक स्थिति ने अंतिमता ग्रहण कर ली है अतः, इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी के तर्क विधिसम्मत एवम् उचित है। लिहाजा, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त बिन्दु के संबंध में प्रतिपादित सिद्धांत के आलोक में, हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। अतः उपर्युक्त वर्णित विधिक स्थिति के दृष्टिगत अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश अपारत किया जाकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

7. परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।


1.9.2013
(मदन लाल)
सदस्य